WEEKLY FOCUS
#65, May 2022

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

लोकतंत्र का विश्लेषण

उद्भव से लेकर लोकतंत्र के समक्ष खतरे और पुनरुद्धार तक

"लोकतंत्र एक सिद्धांत है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि आम लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और वे कैसे इसे बेहतर एवं दृढ़ता से प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं।"

एच.एल. मेनकेन

परिचय

कुछ हफ़्ते पहले, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक कनाडा ने कोविड–19 प्रतिबंधों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया था। साथ ही, इस हेतु न केवल प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को छीनने, बल्कि उनके बैंक खातों और उनकी आजीविका को बाधित करने की भी योजनाएं बनाई गई थी।

दूसरी ओर, एशिया में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को तालिबान द्वारा कब्जा कर लिया गया। यहां लोकतंत्र को समाप्त कर तालिबान ने यह घोषणा कर दी कि देश शरीयत के कानून द्वारा शासित होगा।

ये घटनाएं इस बात के प्रमाण हैं कि दुनिया भर में आम नागरिक लोकतांत्रिक शासन का एक अविभाज्य हिस्सा होने के बावजूद, अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए एक सतत संघर्ष में लिप्त हैं।

ऐसी स्थिति में, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जब हम 'लोकतंत्र' शब्द का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में इसका क्या अर्थ होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे विकसित हुई? विश्व स्तर पर लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और प्रकृति क्या है? लोकतंत्र, दुनिया भर में सरकार का पसंदीदा रूप क्यों है? यह शासन के अन्य रूपों की तुलना में कैसा है? वे कौन से खतरे हैं, जो देशों को लोकतंत्र से तानाशाही की ओर धकेल देते हैं या धकेल रहे हैं? लोकतंत्रों को और मजबूत बनाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है? इस दस्तावेज में, हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे।

जब हम 'लोकतंत्र' शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका वास्तव में क्या अर्थ होता है और यह कैसे विकसित हुआ है?

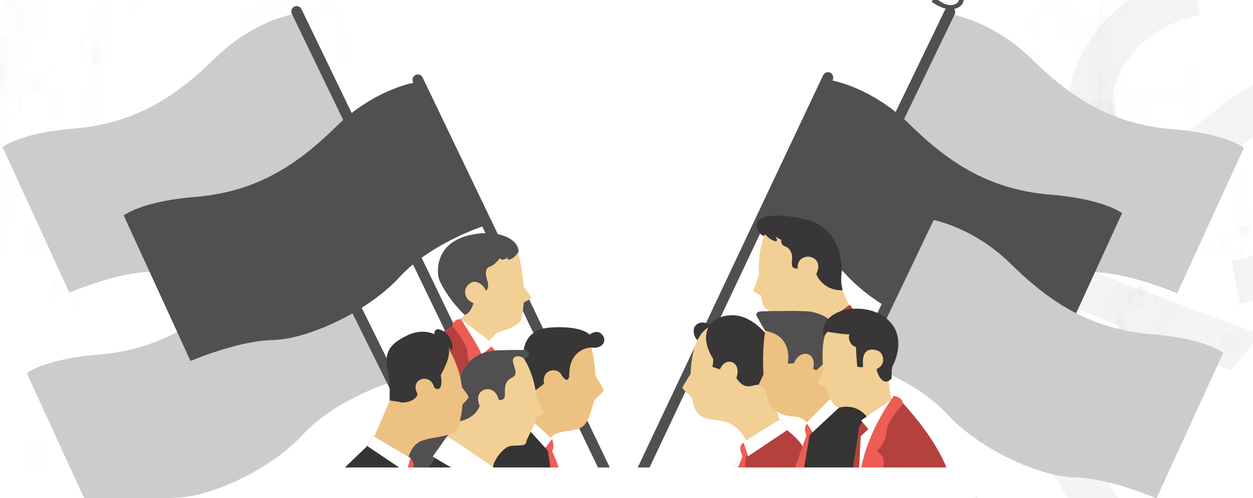

- लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। ये हैं– 'डेमोस (demos)', जिसका अर्थ है लोग, और 'क्रेटोस (kratos)' जिसका अर्थ है शक्ति। इसलिए, लोकतंत्र को "लोगों की शक्ति" के रूप में माना जा सकता है: अर्थात् शासन करने का एक तरीका जो "लोगों की इच्छा" पर निर्भर करता है।
- इस प्रकार लोकतंत्र, सरकार का एक रूप है। इसमें शासकों का जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। चूंकि, कोई शब्द अपने मूल से बंधा नहीं रहता है, इसलिए उपर्युक्त परिभाषा तब तक पर्याप्त नहीं होगी जब तक कि हम इसके साथ जुड़े कुछ प्रमुख मूल्यों की व्याख्या न करें।

उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार, एक सरकार की शासन व्यवस्था को तभी लोकतांत्रिक माना जा सकता है, जब वह निम्नलिखित आधारभूत मूल्यों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करती हो:

प्रमुख मूल्य	कैसे मूल्य प्रदर्शित किए जाते हैं?	मूल्य विरोधी/ विपरीत कैसे हो जाते हैं?
अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होनी चाहिए।	भारत में, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है।	कुछ देशों में, वास्तविक शक्ति स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास न होकर बाह्य शक्तियों के पास होती है। ऐसे शासन को जनता का शासन नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, म्यांमार में, वास्तविक निर्णयन शक्तियों का प्रयोग मुख्यतः सैन्य अधिकारी ही करते हैं, न कि निर्वाचित प्रतिनिधि।
एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य।	संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे देश बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करते हैं।	फ़िजी में, वहां के मूल निवासी के वोट का मूल्य एक भारतीय मूल के फ़िज़ी के वोट की तुलना में अधिक होता है।
चुनाव, लोगों को वर्तमान सत्ताधारियों को बदलने के लिए एक बेहतर विकल्प और उचित अवसर प्रदान करते हैं।	भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही अन्य समतुल्य लोकतंत्रों में भी, चुनाव के बाद सरकार का परिवर्तन काफी हद तकसुचारू और शांतिपूर्ण रहा है।	वर्ष 1930 में मेक्सिको को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तब से लेकर वर्ष 2000 तक केवल मौजूदा इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी (PRI) ही चुनाव में विजय प्राप्त करती रही थी, क्योंकि वहां चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित नहीं हुए।
सरकार, संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है।	भारत में, विधिसम्मत रूप से चुनी हुई सरकार भी संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है।	जिम्बाब्वे जैसे कुछ देशों में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में परिवर्तन किए हैं।

आधुनिक लोकतंत्र का मार्गदर्शन करने वाले मूल्य अर्थात् अधिकारों व स्वतंत्रताओं का सम्मान और लोगों की इच्छा की सर्वोच्चता अचानक नहीं उभरे, बल्कि सदियों से ये सतत रूप से धीरे-धीरे विकसित हुए हैं।

क्या आप जानते हैं?

ग्रीस को **"लोकतंत्र का पालना"** कहा जाता है। ग्रीस, प्राचीन काल में सबसे पहले चिन्हित और सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्रों में से एक रहा है। प्राचीन ग्रीस का लोकतंत्र लगभग 200 वर्षों तक परिचालनरत रहा।

वहां, 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्वतंत्र पुरुषों को पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता दी गई थी। हालाँकि, महिलाओं और दासों को नागरिक नहीं माना जाता था।

1215

किंग जॉन प्रथमः मैग्नाकार्टा

विश्वसनीय गवाह के बिना, निराधार शिकायत के आधार पर किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी को भी "कानून" के अधीन गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।

किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को केवल विधिक निर्णय या इसके समान किसी प्राधिकार और देश के कानून के आधार पर ही (न कि किसी अन्य आधार पर) गिरफ्तार किया जाएगा, कैद किया जायेगा तथा निर्वासित किया जाएगा।

विधिक प्राधिकार के बिना न तो किसी को बेचा जाएगा, और न किसी को अधिकार या न्याय देने से मना किया जाएगा या उसमें देरी की जाएगी।

1690

जॉन लॉकः नागरिक सरकार के संबंध में

मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता पृथ्वी पर मौजूद किसी भी श्रेष्ठ शक्ति से मुक्त होना है।

कोई भी, मनुष्य की इच्छा या विधायी अधिकार के अधीन नहीं होगा।

मनुष्य के शासन के लिए केवल प्रकृति का कानून है और समाज में मनुष्य की स्वतंत्रता किसी अन्य विधायी शक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि यह सहमति से स्थापित, राष्ट्रमंडल में निहित है।

1789

मनुष्य के अधिकारों की घोषणा

मनुष्य के अधिकारों की घोषणा को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। संपूर्ण संप्रभुता का यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से राष्ट्र में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन अधिकारों के जो समान अधिकारों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं तथा जो केवल कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

1870

यू.एस.ए. के संविधान में 15वां संशोधन

पंद्रहवें संशोधन में निर्दिष्ट किया गया है कि अमेरिकी नागरिकों के मतदान अधिकार को पूर्वाग्रह और भेदभाव के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अस्वीकार या संक्षिप्त नहीं किया जाएगा।

15वां संशोधन

धारा 1. संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के मतदान अधिकार को नस्ल, रंग, या दासता की पूर्ववर्ती स्थिति के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी राज्य द्वारा अस्वीकार या संक्षिप्त नहीं किया जाएगा।

धारा 2. कांग्रेस के पास उपयुक्त कानून द्वारा इस अनुच्छेद को लागू करने की शक्ति होगी।

1948

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक सामान्य मानक है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह राज्यों के सदस्यों और उनके अधिकार क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी सार्वभौमिक एवं प्रभावी पहचान एवं रीति–रिवाज को संरक्षण प्रदान करता है।

1950

इस दौरान भारत ने अपने संविधान को अंगीकृत किया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अनुमति प्रदान की।

एक छोटी सी वार्ता

आइये भारत के लोकतंत्र की जड़ों का पता लगाते हैं!!

विनयः अरे विनी! अंतिम परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है?

विनीः ओह! बहुत अच्छी चल रही है। मैंने इतिहास का रिवीजन शुरू कर दिया है। आज, मैंने प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा।

विनयः प्राचीन और मध्यकालीन भारत में, देश में व्यापक स्तर पर वंशानुगत राजाओं और राजतंत्रों का ही शासन था, है ना?

विनीः कुछ हद तक, यह बात सच है! लेकिन पूरी तरह से नहीं।

विनयः तुम ऐसा किस आधार पर कह रही हो?

विनीः वैदिक काल में समाज में किसी न किसी प्रकार की गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसमें अधिकांश निर्णय लोगों द्वारा बहुमत से लिए जाते थे।

विनयः अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उन दिनों समाज की इकाई को जन कहा जाता था और उनके प्रमुख को राजन कहा जाता था।

विनीः तुमने सही कहा। उस समय मुखिया यानी राजन का पद वंशानुगत नहीं था। आम तौर पर संबंधित कबीले द्वारा उसका चयन किया जाता था। इसके अतिरिक्त मुखिया का कार्य जन और पशुओं को शत्रुओं से सुरक्षित रखना था। उसके कार्य में सभा, समिति, विदथ, गण और परिषद नामक सभाओं द्वारा सहायता की जाती थी। इनमें से सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं।

विनयः लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में निर्वाचित शासक द्वारा सत्ता के दुरुपयोग करने पर उसे रोकने के लिए विभिन्न संस्थाएं मौजूद हैं। क्या वैदिक समाज में भी ऐसे प्रावधान थे?

विनीः हाँ। इन सभाओं में जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा की जाती थी। इनमें युद्ध, युद्धों की लूट का वितरण, न्यायिक और धार्मिक गतिविधियां आदि शामिल होती थीं। इस प्रकार, इन सभाओं ने एक तरह से मुखिया की शक्तियों को सीमित कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं को भी सभा और समिति के विचार–विमर्श में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी।

विनयः ओह! निर्णय लेने वाली सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति, उन दिनों के दौरान वास्तव में प्रशंसनीय है। यह समाज की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है।

विनीः सही कहा।

विनयः मैंने पढ़ा है कि कुछ उत्तर वैदिक समाज भी किसी न किसी प्रकार की गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थे।

विनीः हाँ, लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इनमें मगध उस दौरान एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। वज्जि तथा उसकी राजधानी वैशाली (बिहार में) शासन के एक अलग रूप के अधीन था। इसे गण या संघ के रूप में जाना जाता था, जिसमें कई शासक होते थे। वे सभाओं में एकत्रित होते थे तथा चर्चा और बहस के माध्यम से यह तय करते थे कि उन्हें शासन कैसे चलाना है। इसके अतिरिक्त, वे स्थापित कानून का पालन भी करते थे।

विनयः अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भी मनुष्य में कानून के शासन और संप्रभु सरकार की आकांक्षाएँ थीं। और इन आकांक्षाओं का वर्तमान व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ा है।

विनीः हाँ, यह सच है।

वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और प्रकृति क्या है?

- 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, कई देशों ने लोकतांत्रिक सरकार के किसी न किसी रूप को अपना लिया था।
- प्यू रिसर्च 2019 के अनुसार, वर्ष 2017 के अंत तक, कम से कम 5,00,000 की आबादी वाले 167 देशों (57%) में से 96 देशों ने किसी न किसी प्रकार के लोकतंत्र को अपना लिया है, जबकि केवल 21 (13%) देशों में तानाशाही शासन मौजूद है। हालांकि, लगभग 46 देशों (28%) में लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के तत्वों को अपनाया गया है (मानचित्र देखें)।

DEMOCRACY HAS GROWN ACROSS THE WORLD OVER THE PAST FOUR DECADES

Regime types in each country, 1977 and 2017

2017

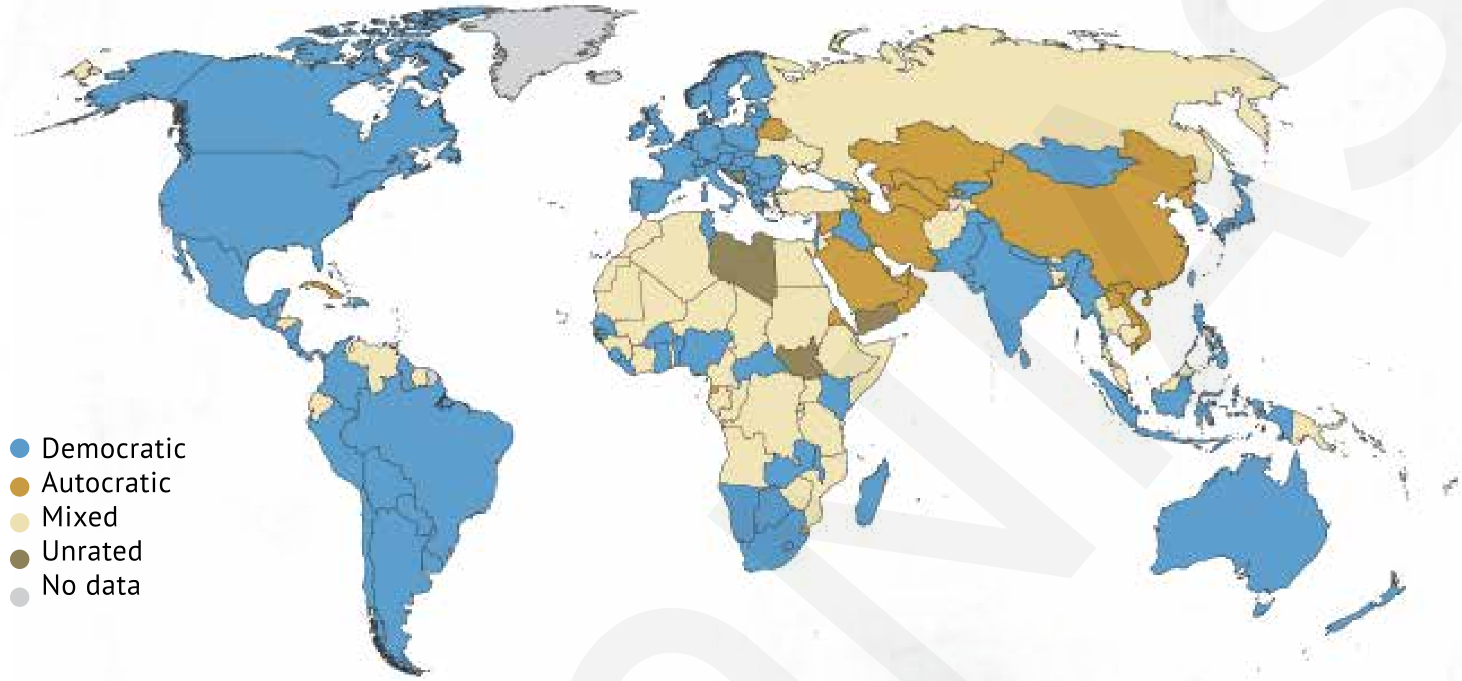

1977

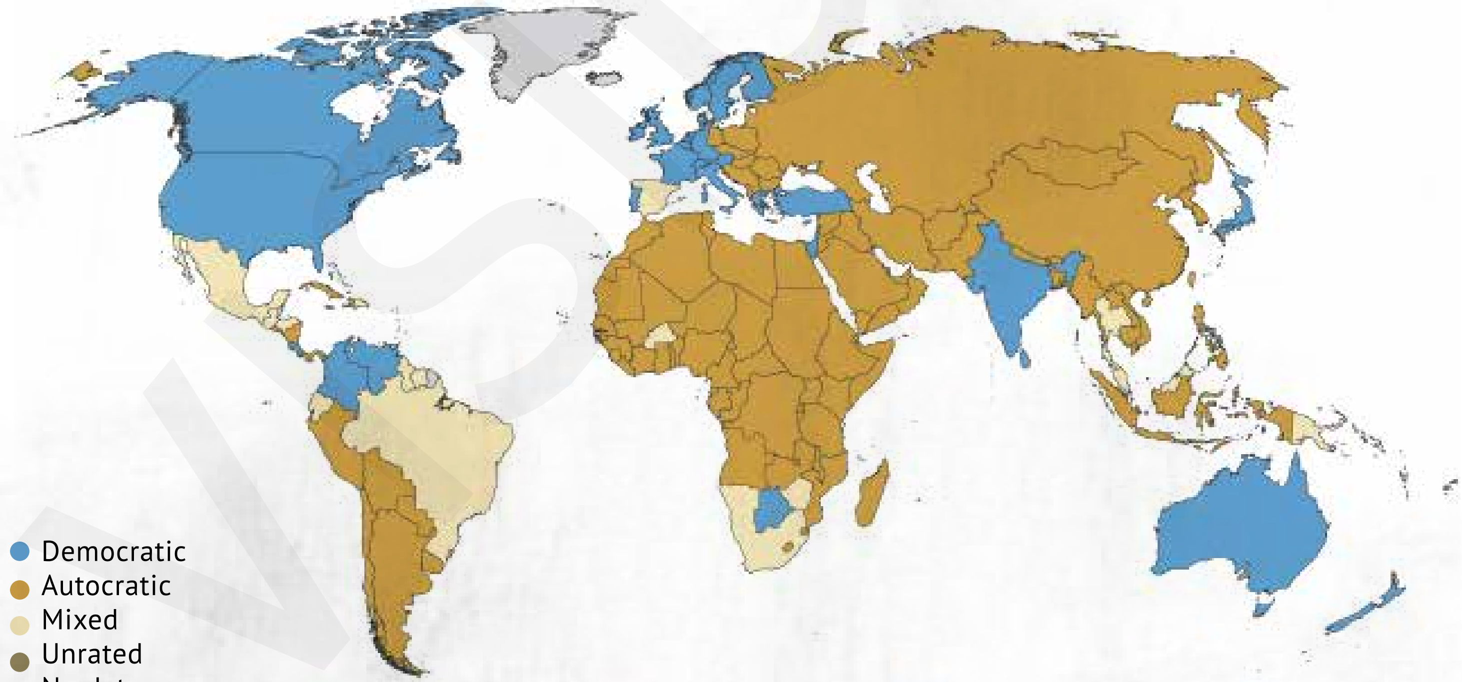

क्या सभी देश एक जैसे लोकतांत्रिक मॉडल का पालन करते हैं?

- वर्तमान में, सम्पूर्ण विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वहां उतने ही अलग–अलग प्रकार के लोकतांत्रिक मॉडल देखे जा सकते हैं। हालांकि, कोई भी दो प्रणालियाँ बिल्कुल समान नहीं रही हैं और किसी एक प्रणाली को "मॉडल" के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है।
    - **अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली** वाले लोकतांत्रिक देश तथा **संघीय या एकात्मक प्रणाली** वाले लोकतांत्रिक देश, ऐसे लोकतंत्र हैं, जो आनुपातिक मतदान प्रणाली का उपयोग करते हैं। साथ ही, ऐसे भी लोकतंत्र हैं, जो बहुमत प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसे लोकतंत्र भी हैं, जिनमें राजशाही व्यवस्था के प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसी तरह के प्रकार और भी हो सकते हैं।
    - जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि इनमें से **'जनता के प्रतिनिधित्व का उपयोग'** ही एक ऐसा घटक है, जो लोकतंत्र की आधुनिक प्रणालियों को जोड़ता है, और जो उन्हें प्राचीन मॉडल से अलग भी करता है।
    - अंततः सरकार की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र, मोटे तौर पर आलेख (इन्फोग्राफ) में दिखाई गई विशेषताओं को शामिल कर विकसित हुआ है।

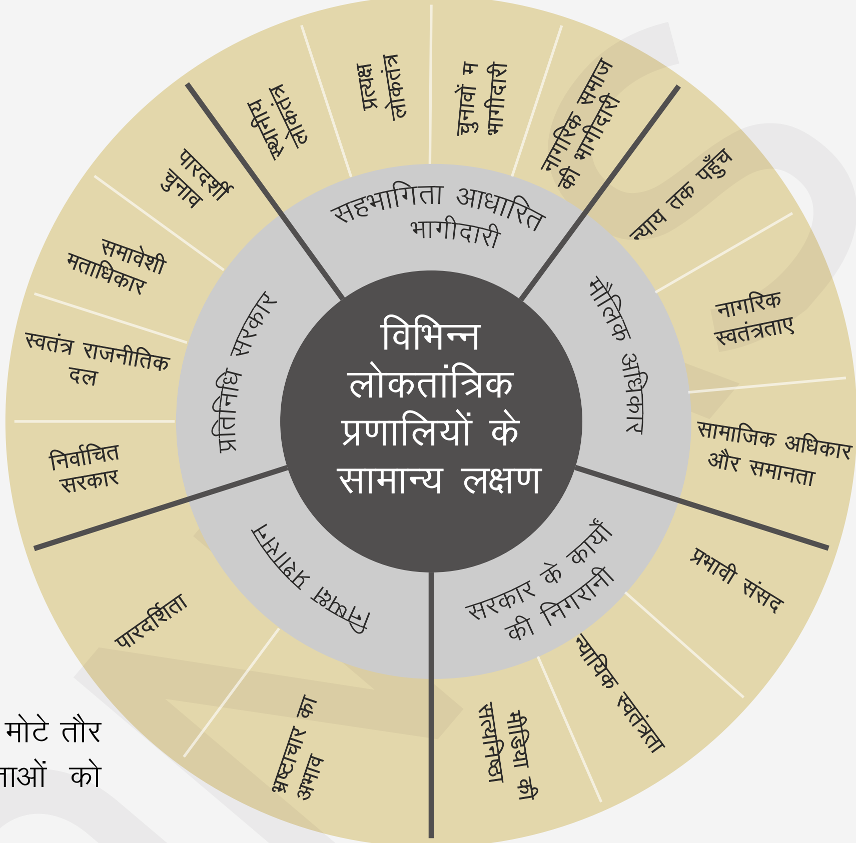

क्यों लोकतंत्र को ही विश्व भर में शासन के एक सर्वोत्तम विकल्प के रूप में प्राथमिकता दी जाती रही है?

लोकतंत्र की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं:

- **यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है:** लोकतंत्र, लोकतांत्रिक/राजनीतिक समानता के सिद्धांत के अनुपालन एवं नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह व्यक्तियों के स्वतंत्र रूप से जुड़ने या संघ बनाने और अपने हितों के संरक्षण हेतु प्रयास करने के अधिकार को सुविधाजनक बनाकर नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है।
- **विविधता में एकता सुनिश्चित करता है:** किसी भी समाज में, लोगों के विचारों और हितों में मतभेद होना लाजमी है, जिससे अंतर–सामुदायिक संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि, लोकतंत्र इन मुद्दों पर विचार–विमर्श और चर्चा का अवसर प्रदान करते हुए ऐसे मुद्दों के निस्तारण की दिशा में एक रचनात्मक तरीका प्रदान करता है। इस प्रकार यह समस्या का शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है।
- **जल्दबाजी में निर्णय लेने की संभावना को कम करता है:** एक सहभागी शासन पर आधारित होने के नाते लोकतंत्र, कई हितधारकों के बीच परामर्श और चर्चा पर अत्यधिक बल देता है। अतः यह जल्दबाजी या गैर–जिम्मेदारीपूर्ण निर्णयों की संभावना को कम करता है और अंततः निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- **अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है:** लोकतंत्र में सार्वजनिक चर्चा और सुधार की सदैव गुंजाइश बनी रहती है। उदाहरण के लिए, भारत में सरकार कई मसौदा विधेयकों को अधिनियमित करने से पहले उन पर सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित करती है।

शासन के अन्य रूप: लोकतंत्र के विकल्प

शासन की प्रणाली	परिभाषा	उदाहरण
राजतंत्र	वंशानुगत अधिकार वाले एकल/व्यक्तिगत शासक में संपूर्ण प्रशासकीय शक्ति निहित होती है।	सऊदी अरब
अधिनायकत्व/तानाशाही	पूर्ण अधिकार वाला व्यक्तिगत शासक, जो हिंसक विद्रोह के माध्यम से सत्ता में आता है।	उत्तर कोरिया
कुलीनतंत्र	संपूर्ण शक्ति कुछ व्यक्तियों में या एक प्रमुख वर्ग या गुट में निहित होती है।	
संवैधानिक राजतंत्र	सीमित शक्ति के साथ राजतंत्रीय प्रमुख, किंतु शासन की वास्तविक शक्ति किसी अन्य प्राधिकरण में निहित होती है।	यूनाइटेड किंगडम, जापान, डेनमार्क आदि।

- **वैश्विक सुरक्षा एवं स्थिरता:** लोकतंत्रों में आंतरिक सशस्त्र संघर्षों के उत्पन्न होने या घातक आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं के होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वे अहिंसक साधनों के माध्यम से असंतोष को समायोजित करते हैं एवं कानून के शासन और मानवाधिकारों के दायरे में हिंसा का प्रबंधन करते हैं।
- **आर्थिक विकास के बेहतर अवसर:** विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार आर्थिक सुधारों, निजी निवेश, सरकार के आकार और क्षमता तथा सामाजिक संघर्षों में कमी पर लोकतंत्र का सकारात्मक प्रभाव रहा है।

चीन: लोकतंत्र की पश्चिमी शैली की अनुपस्थिति में तीव्र आर्थिक विकास का विरोधाभास

उदारीकरण सुधारों के अभाव के बावजूद चीन ने उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है और वैश्विक आर्थिक विकास में उसकी एक प्रमुख भूमिका रही है।

- **चीन में समाजवाद: चीन द्वारा "चीनी शैली पर आधारित समाजवाद"** को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही साथ चीन की सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की भी शुरुआत की गई है। **चीन की सरकार आर्थिक विकास को बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान करती है** तथा विशेषकर व्यापार और लेनदेन में हस्तक्षेप करने की पूर्ण शक्ति रखती है।
- **असहमति का अभाव:** चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एकमात्र आधिकारिक शासी निकाय है। इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था के लाभ इस तथ्य में निहित हैं कि आम जनता की आपत्तियां आमतौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती हैं। इस प्रकार, निष्कर्षतः अपेक्षाकृत आसानी से निर्णय लिए जा सकते हैं और निर्णय, उचित समय के भीतर लागू किए जा सकते हैं। बीजिंग में वर्ष 2008 के दौरान ओलंपिक खेल स्थलों का तेजी से किया गया निर्माण इसका एक ज्वलंत उदाहरण है।

हालांकि, निष्पक्षता एवं आमजन की भागीदारी को बढ़ावा देने के इसके अंतर्निहित तंत्र के बावजूद, **1990 के दशक के दौरान लोकतांत्रिक शासनों का तेजी से प्रसार हुआ था, लेकिन 2000 के दशक से इसकी गति बाधित हुई है।**

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016 के बाद से, **तानाशाही शासन की ओर अग्रसर होने वाले देशों की संख्या लोकतंत्र की ओर बढ़ने वाले देशों की संख्या से लगभग तीन गुना अधिक है** (इन्फोग्राफिक देखें)।

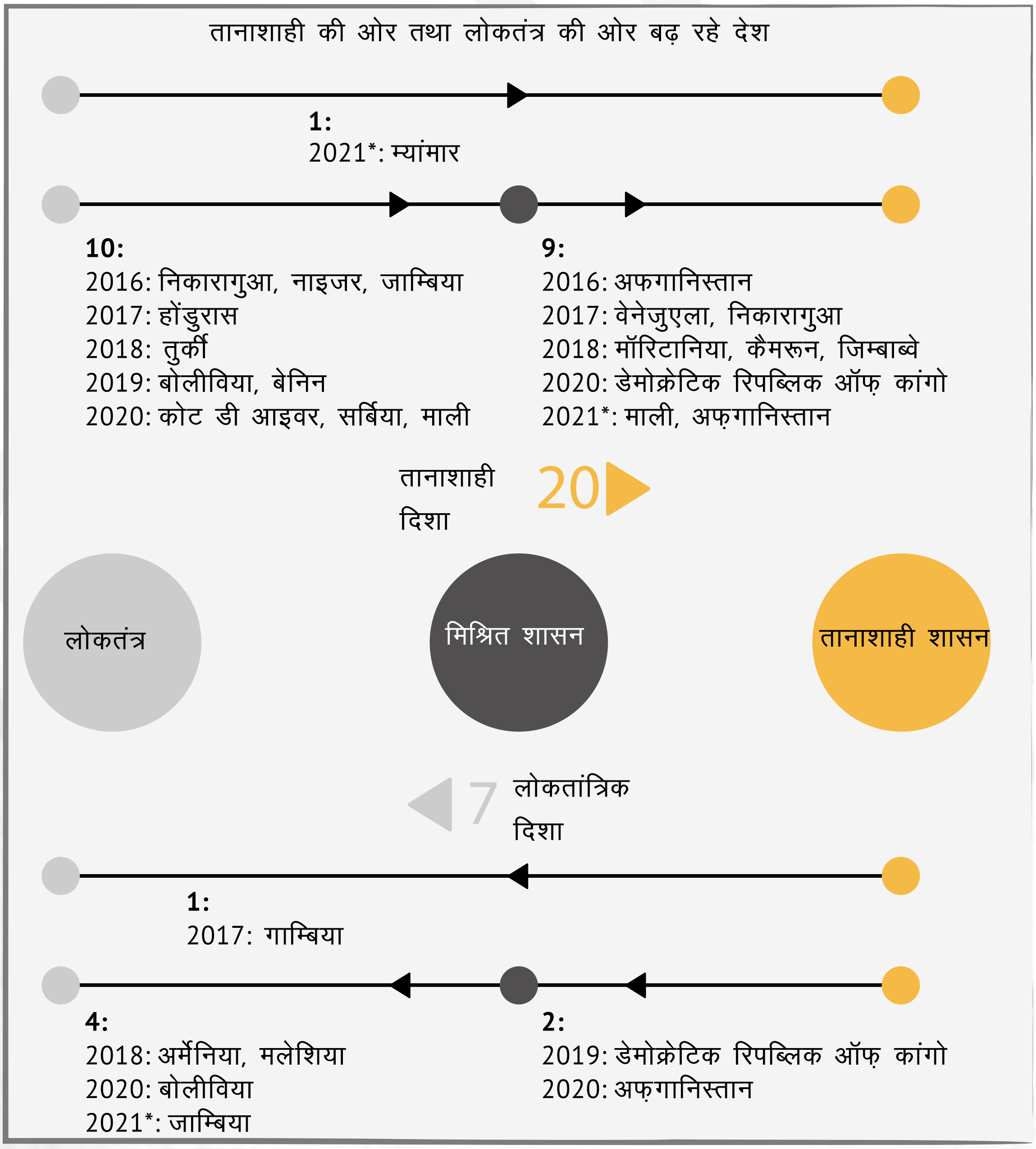

वे ऐसे कौन से खतरे हैं, जो देशों को लोकतंत्र से तानाशाही शासन की ओर धकेल रहे हैं?

प्रत्यक्ष खतरे

- विपक्ष के साथ असहयोग
- तख्तापलट या सत्ता का पतन
- न्यायपालिका को महत्त्व नहीं देना
- विधायिका को अवैध बनाना या कमजोर करना
- आर्थिक आघात
- चुनावी धोखाधड़ी
- चुनावी हिंसा
- बाहरी प्रभाव
- राजनितिक दलों की ओर से लोकलुभावन/ ध्रुवीकरण

- सिविल सोसाइटी पर बढ़ता नियंत्रण
- शक्तियों का अनुचित विभाजन
- सिविल सेवा संस्थानों /विकास को बढ़ावा देने वाले प्राधिकृत या वैध संस्थानों का कमजोर होना
- पक्षपातपूर्ण मीडिया
- अक्षम राजनितिक दल
- शरणार्थी संकट
- राज्य द्वारा चालित हिंसा या दुर्व्यवहार
- उप–राष्ट्रीय इकाइयों को अवैध या कमजोर करना
- संविधान का संशोधन
- नियमों/ संविधान का निलंबन

अप्रत्यक्ष खतरे

- विपक्ष/विरोधों का दमन
- नागरिक स्वतंत्रता में कटौती
- न्यायिक स्वतंत्रता में कमी
- मीडिया का दमन
- अविश्वास मत/ मतदान में कमी
- विधायी निरीक्षण में कमी
- कार्यावधि सीमा में छूट
- चुनाव स्वतंत्रता/ निष्पक्षता में प्रणालीगत **कमी**
- जलवायु परिवर्तन

- **आर्थिक असंतोष** : निम्न आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी, गरीबी एवं बिगड़ती आर्थिक दशा व असमानता को दूर करने की दिशा में सुस्थापित लोकतंत्रों की अक्षमता, लोगों में असंतोष उत्पन्न करती है। साथ ही, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की दिशा में भी एक अनुकूल स्थिति के रूप में कार्य करती है।
  - उदाहरण के लिए, अतीत में यह लोकतंत्रों के टूटने और तानाशाही शासनों के उदय हेतु उत्तरदायी रही है, जैसा कि वाइमर जर्मन और नाजी शासन की स्थापना के मामले में हुआ था।

- **ध्रुवीकरण में वृद्धि:** ध्रुवीकरण का तात्पर्य जातीयता, विचारधारा और धर्म के संदर्भ में जनता की राय का दो विरोधी चरम मतों में विभाजन है। यह विभाजन कट्टर विरोध की स्थितियों की ओर ले जाता है। इससे समझौतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अति ध्रुवीकरण के परिणामस्वरूप लोकतंत्र हेतु आवश्यक सभी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - **न्यायपालिका को कमजोर करना:** ध्रुवीकृत वैश्विक मत आमतौर पर न्यायिक संस्थानों को पक्षपाती मानते हैं और इस प्रकार उन निर्णयों को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं, जो उनके पक्ष में नहीं होते हैं।
  - **शांतिपूर्ण ढंग से सरकार द्वारा किए जाने वाले वैध परिवर्तन को बाधित करना:** जनवरी, 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप के हजारों समर्थकों ने विरोध में कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया था और पुलिस से भिड़ गए थे। इसे अमेरिकी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमले के रूप में देखा गया था।
  - **अल्पसंख्यकों का सीमांतीकरण:** तुर्की ने विगत वर्ष प्रसिद्ध हागिया सोफिया और चोरा संग्रहालय को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया था। यह सुन्नी मुसलमानों का पक्षधर रहा है। इस संदर्भ में इसके द्वारा शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में इस्लामी शिक्षा को अत्यधिक बढ़ावा मिला है।
  - **विकास की राजनीति से भटकाव:** ध्रुवीकरण के कारण राजनीति को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित रख पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। साथ ही, यह धर्म, जाति और विचारधारा के इर्द-गिर्द केंद्रित हो जाती है।
- **डिजिटलीकरण और दुष्प्रचार:** गलत या भ्रामक जानकारी तथा अलग-अलग तकनीकों का उपयोग कर, ऑनलाइन तरीके से व मनमाने रूप से जनमत के साथ हेरफेर किया जाता है। कई बार इसे दुष्प्रचार की भी संज्ञा दी जाती है। यह हमेशा से होता रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया और ऑनलाइन संचार के कारण इसके प्रभाव और पहुंच में तेजी से विस्तार हुआ है। यह ध्रुवीकरण करने वाले दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है।
  - उदाहरण के लिए, रूस पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने कथित तौर पर वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की दावेदारी को बढ़ाने तथा हिलेरी क्लिंटन के अभियान को प्रभावित करने के उद्देश्य से इसका सहारा लिया था।
- **लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना:** न्यायपालिका, विधायिका, नागरिक समाज और मीडिया जैसी मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, सरकार पर प्रभावी नियंत्रण एवं सरकारी सेवाओं के कुशल वितरण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। हालांकि, इन संस्थाओं के कमजोर होने से लोकतंत्र में जवाबदेहिता का संतुलन प्रभावित होता है और सत्ता के केंद्रीकरण की संभवाना अत्यधिक बढ़ जाती है।
  - **न्यायिक स्वतंत्रता:** वर्ष 2009 से कमजोर न्यायिक स्वतंत्रता वाले देशों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि, न्यायिक संस्थानों का राजनीतिकरण और कानून के शासन को कमजोर करने के प्रयासों के कारण यह संख्या तब से अब तक के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और अभी भी वृद्धिशील बनी हुई है {ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी (GSOD) रिपोर्ट, 2021}।
  - **विधायी निगरानी:** संसद की बैठकों में कमी, गुणवत्ता संबंधी बहस में व्यवधान, जांच के लिए संसदीय समितियों को बिल/अध्यादेश नहीं भेजना आदि ऐसे उदाहरण हैं, जिनके कारण सरकार की नीतियों के प्रभावी विधायी निरीक्षण में गिरावट आई है।
  - **मीडिया की सत्यनिष्ठा:** फेक न्यूज और पेड न्यूज की संस्कृति, समाचारों का व्यवसायीकरण, पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता (येलो जर्नलिज्म) ने मीडिया पर जनता के विश्वास को कम कर दिया है। साथ ही, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के इस प्रकार कमजोर होने से सरकार की जवाबदेहिता में भी कमी आई है।
  - **सिविल सोसाइटी की भागीदारी:** दुनिया भर में कई सरकारों ने सिविल सोसायटी समूहों पर प्रतिबंधों को वैध ठहराने के लिए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ाई, देश के विकास को सुविधाजनक बनाने आदि जैसे बहानों का इस्तेमाल किया है। इससे उनके लिए पंजीकरण कराना, संचालन करना, धन का उपयोग करना और सुधार के लिए स्वतंत्र रूप से पक्ष समर्थन करना कठिन हो गया है।
  - **चुनावी प्रक्रिया:** चुनाव में धांधली और चुनाव कराने वाले अधिकारियों के पास अपर्याप्त शक्ति, लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, हंगरी में हाल ही के चुनाव में हंगरी के चुनाव अधिकारियों ने मतदाता धोखाधड़ी के एक संदिग्ध मामले की सूचना दी थी।
- **जलवायु परिवर्तन:** यह अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य असुरक्षा, संघर्ष, जल की कमी, प्रवास और प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं को भी जन्म देता है। ये समस्याएं न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि उसी समय असंतोष के कारण संघर्ष के लिए भी एक आधार तैयार करती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, बढ़ती अप्रवासी विरोधी भावना के चलते दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में ध्रुवीकरण को और बढ़ावा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में, जर्मनी, जो कभी अपनी उदार शरणार्थी नीति के लिए जाना जाता था, ने सैकड़ों अफगान शरणार्थियों को अपना आश्रय स्थान खाली करने के लिए कहा है।
- **उभरते हुए लोकतंत्रों की नाजुक प्रकृति:** उभरते हुए लोकतंत्रों में चुनावों पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, जबकि नियंत्रण और संतुलन को सुदृढ़ एवं संस्थागत बनाने (जैसे- विधायिका, न्यायपालिका, नागरिक समाज आदि को मजबूत करने) पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
  - उदाहरण के लिए, म्यांमार, लगभग वर्ष 1962 से लेकर वर्ष 2011 (नागरिक सरकार की स्थापना का वर्ष) तक सेना के शासन के अधीन रहा था। साथ ही, निर्वाचित सरकार को पूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण भी नहीं किया गया था, क्योंकि संसद में सेना का वर्चस्व था। इसके अतिरिक्त, म्यांमार के वर्ष 2008 के संविधान ने विधायिका की उपेक्षा कर सरकार की कई संस्थाओं पर सेना की पकड़ को और अधिक मजबूत कर दिया था। लोकतांत्रिक संस्थाओं के लगातार कमजोर होने को इस देश में वर्ष 2021 के सैन्य तख्तापलट के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में देखा जाता है।

- **गैर–लोकतंत्रों का प्रभाव:** वैश्वीकृत विश्व व्यवस्था में, गैर या अर्द्ध–लोकतांत्रिक राष्ट्रों के प्रभाव को उनकी सीमाओं के पार महसूस किया जा सकता है। विशेष रूप से बहुपक्षीय मंचों में जहां ऐसे राष्ट्र दुनिया भर में गैर–लोकतांत्रिक नीतियों का समर्थन कर सकते हैं या उनको लागू कर सकते हैं।
- **कोविड–19 महामारी का प्रभाव:** कोविड–19 महामारी की पहली लहर ने कई देशों में आपातकालीन शक्ति के उपयोग को सामान्य बना दिया है। लोकतांत्रिक सरकारों ने बार–बार अत्यधिक निगरानी करने, आंदोलन और सभा की स्वतंत्रता पर भेदभावपूर्ण प्रतिबंध आरोपित करने जैसे कृत्यों का सहारा लिया है। साथ ही, पुलिस और गैर–राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इस तरह के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मनमाने या हिंसक साधनों का भी प्रयोग किया गया है।

अपनी राह खोजता लोकतंत्र: संकट के समय में लोकतंत्रों द्वारा प्रदर्शित लचीलापन

GSOD, 2021 के अनुसार, दुनिया भर के कई लोकतंत्र महामारी के समय, लोकतांत्रिक नवाचारों को शुरू करने या उनका विस्तार करने और रिकॉर्ड समय में उनसे सम्बद्ध प्रथाओं एवं संस्थानों को अपनाने के प्रति लचीले साबित हुए हैं।

- **चुनाव:** महामारी के दौरान चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध और कुछ देशों में मौजूदा सरकारों का गलत तरीके से पक्ष लेने वाले मीडिया स्पेस के बावजूद, लोकतंत्र के चुनावी घटक ने उल्लेखनीय लचीलापन दर्शाया है। उदाहरण के लिए, जाम्बिया में, अगस्त 2021 में सत्ताधारी दल की हिंसात्मक रणनीति के बावजूद विपक्षी नेता जीत हासिल करने में सफल रहे।
- **निजी संस्थाओं की सक्रिय भूमिका:** कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जहां निजी क्षेत्र द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दों पर आवाज उठाई गई है, जैसे चीन में उइगरों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर। इसके अलावा, अनिवार्य मानवाधिकार पर आगामी यूरोपीय संघ का कानून एवं संबद्ध निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए सम्यक् तत्परता अधिक जुड़ाव के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं।
- **लोकतंत्र समर्थक आंदोलन:** वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के दौरान, लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को बेलारूस, क्यूबा, इस्वातिनी, हांगकांग और म्यांमार जैसे कई स्थानों पर दमन का सामना करना पड़ा है। विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने और नस्लीय असमानताओं से लड़ने हेतु सामाजिक आंदोलन अत्यधिक प्रभावी रूप से सामने आए हैं और महामारी प्रतिबंधों के बावजूद उनकी आवाज सुनी जा रही है।

SOME FAMOUS DEMOCRATIC MOVEMENTS ACROSS THE WORLD

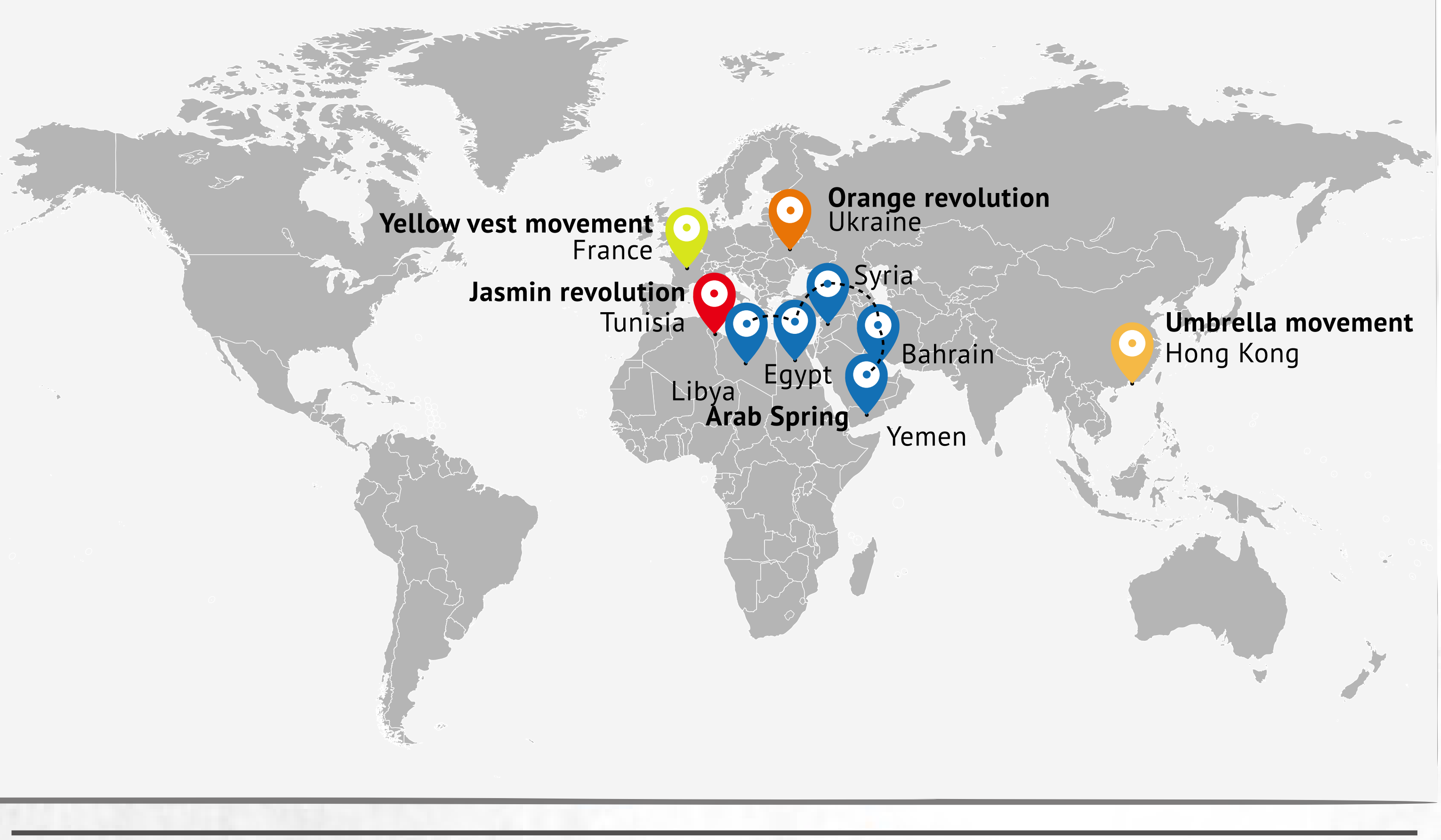

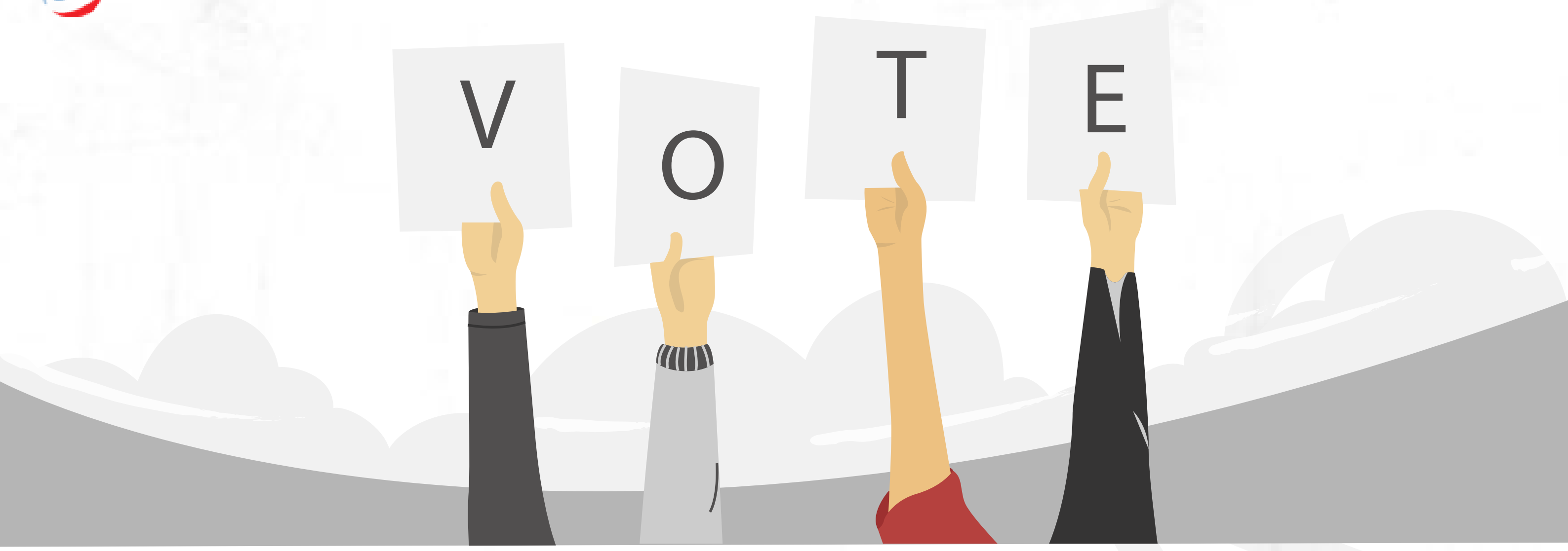

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कौन–कौन से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है?

बढ़ती तानाशाही पर अंकुश लगाने और लोकतंत्र के पतन को रोकने के लिए हितधारकों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होने वाले तख्तापलट/असंवैधानिक हस्तक्षेपों को रोकना:
  - राष्ट्रीय प्रयास
    - ✓ **सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण:** विशेष रूप से प्रत्येक चुनाव के बाद सरकार के परिवर्तन हेतु एक तंत्र/विधि (संविधान के अंतर्गत) होना चाहिए, ताकि लोगों की इच्छित सरकार को सुनिश्चित किया जा सके।
    - ✓ **तख्तापलट के विरुद्ध कानूनी उपाय:** लोकतंत्रों को सैन्य और नागरिक कानून में विशिष्ट संहिता को समाविष्ट करना चाहिए जो तख्तापलट को स्पष्ट रूप से देशद्रोह के कृत्यों के रूप में चिन्हित करे। साथ ही, संहिता ऐसी होनी चाहिए जो तख्तापलट करने के प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दे।
  - **वैश्विक प्रयास:** लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को विकृत या प्रभावित करने हेतु देशों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मई 2021 में, ECOWAS (पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय) ने नौ महीने में देश के दूसरे तख्तापलट के बाद माली को समूह से निलंबित कर दिया था।
- लोकतंत्र के विनाश को रोकना:
  - राष्ट्रीय प्रयास:
    - ✓ **असंतुष्ट मतदाताओं की शिकायतों का समाधान करना:** ऐसे मतदाता प्रायः रोजगार की कमी, सामाजिक असुरक्षा और अपने देश की कमियों से संबद्ध अन्य शिकायतों इत्यादि जैसी चिंताओं से प्रेरित होते हैं। इन शिकायतों के समाधान के लिए रचनात्मक प्रणाली सृजित करने की आवश्यकता है।
    - ✓ **सामाजिक अनुबंधों को पुनः तैयार करना:** ये अनुबंध समावेशी सामाजिक विचार–विमर्श पर आधारित होने चाहिए। यह विचार–विमर्श लोगों को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक घटकों और वर्तमान में सरकार द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले घटकों के बीच के अंतराल पर प्रकाश डालता हो। इसे असमानताओं और भ्रष्टाचार को कम करने एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होना चाहिए। साथ ही, सार्वभौमिक सार्वजनिक सेवाओं में निवेश करना चाहिए तथा अन्य के मध्य प्रगतिशील कराधान अपनाने चाहिए।
    - ✓ **राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना:** उन्हें निर्णय लेने और सेवा वितरण के मामले में अधिक समावेशी, नागरिक केंद्रित, जवाबदेह एवं उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। हालांकि, निम्नलिखित अभ्यास इस दिशा में मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं:
      - **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, नीदरलैंड ने राजनीतिक दलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए हाल के चुनावों में 'राजनीतिक विज्ञापन की पारदर्शिता पर आचार संहिता' की शुरुआत की है।** इसमें सूक्ष्म लक्ष्यीकरण हेतु मतदाता डेटा के नैतिक उपयोग का पालन करना और भ्रामक सामग्री, अभद्र भाषा एवं हिंसा भड़काने वाले संदेशों का प्रसार नहीं करना आदि शामिल हैं।
      - **युवा लोकतंत्र समर्थकों को इस दिशा में शामिल करना:** भारत में, राष्ट्रीय युवा संसद, युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ से युक्त करने के लिए संचालित एक नया कार्यक्रम है। इससे उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित नागरिक शिक्षा का समावेश हो सकेगा।
  - वैश्विक प्रयास:
    - ✓ **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मानकों का एक सेट विकसित करना:** ऐसे मानकों को संयुक्त राष्ट्र की चुनावी सहायता इकाई या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय निकाय के साथ मिलकर विकसित किया जा सकता है।
    - ✓ **पारदर्शिता के लिए तकनीकी दायरे का विस्तार करना:** तकनीकी कंपनियों के लिए मानदंड, नियम और दिशा–निर्देश निर्धारित करने व चुनाव हस्तक्षेप, साइबर युद्ध तथा ऑनलाइन व्यापार सहित सीमा पार डिजिटल गतिविधियों के लिए किसी प्रोटोकॉल पर सहमत होने हेतु एक वैश्विक लोकतांत्रिक गठबंधन की आवश्यकता है।

- **पर्यावरणीय स्थिरता:** लोकतांत्रिक प्रणालियों के मूल्य की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि इस ग्रह की स्थिरता को सुनिश्चित करने के साथ–साथ मानव जाति की भी रक्षा की जाए। अतः लोकतांत्रिक देशों को अपने संसाधनों का उपयोग जलवायु परिवर्तन सुधारों की दिशा में करना चाहिए।
  - ✓ सरकारों को नागरिक समाज के समर्थन से **भागीदारी प्रक्रियाओं को अपनाना** चाहिए, जो **जलवायु परिवर्तन पर कानूनों और लक्ष्यों के निर्धारण एवं कार्यान्वयन में** युवाओं तथा नागरिकों को शामिल करती हो।
  - ✓ उदाहरण के लिए **फिनलैंड** में विज्ञान और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में एक **स्वतंत्र जलवायु परिवर्तन पैनल** नियुक्त किया गया था। हालांकि, इस पैनल में जलवायु परिवर्तन अधिनियम के तहत विज्ञान के कई जलवायु–प्रासंगिक क्षेत्रों के 15 शीर्ष विशेषज्ञों को शामिल किया गया था और इसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से अच्छा रहा है।
- **नागरिक समाज संगठनों (CSOs) को मजबूत बनाना:**
  - ✓ **क्षमता निर्माण:** CSOs को डिजिटल क्षेत्र और लोकतंत्र सहायता संगठनों में नागरिक भागीदारी को बढ़ाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए।
  - ✓ **प्रहरी के रूप में CSOs की भूमिका को संधारणीय और सुगम बनाना:** सरकारों को CSOs का जोखिम–आधारित मूल्यांकन करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि CSOs का उपयोग धनशोधन करने वाले या आतंकवादी संगठनों द्वारा तो नहीं किया जा रहा है।
  - ✓ सरकारों को नागरिक समाज संगठनों के लिए निर्धारित मार्गदर्शन का पालन करते हुए **उनके अनुदान प्राप्त करने के अधिकार का समर्थन करना चाहिए।**
- **मीडिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना**
  - ✓ सरकार को नवनिर्मित **इंटरनेशनल फंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट मीडिया** (जनहितैषी मीडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष) का समर्थन करना चाहिए। यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जनहितैषी मीडिया को मजबूत करने पर केंद्रित है।
  - ✓ सरकारों को हानिकारक सामग्री, अभद्र भाषा और दुष्प्रचार से निपटने के साथ–साथ फ्री स्पीच के सिद्धांतों को संतुलित करना चाहिए। इस हेतु विनियामक प्रथाओं को विकसित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मानवाधिकार विशेषज्ञों, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
  - ✓ पत्रकारों को धमकियां देने, डराने–धमकाने, प्रताड़ित करने और उन पर हमलों के प्रति **विधिक जवाबदेही** निर्धारित की जानी चाहिए।

○ **लोगों की भूमिका:** अब्राहम लिंकन के शब्दों में **"लोकतंत्र लोगों द्वारा और लोगों के लिए, लोगों की एक सरकार है।"** लोग लोकतंत्र के प्रमुख घटक हैं और लोकतंत्र की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों का कितनी तत्परता से प्रयोग करते हैं।

- नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार सरकार की शक्ति के दायरे को निर्धारित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों की इच्छा से समझौता न किया जाए। कर्तव्यों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के समग्र विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करते हुए एक नागरिक के अधिकार दूसरे नागरिक के अधिकारों में बाधा न डालें।

> "यदि हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो हम एक बेहतर पड़ोसी, बेहतर समाज और अंततः एक बेहतर देश का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।"
>
> **महात्मा गांधी**

लोकतंत्र के उपर्युक्त आयामों पर चर्चा करने के बाद, हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक शासन का एक बेहतर रूप और चुनौती दोनों है। यह शासन का एक ऐसा रूप है, जिसके तहत स्वतंत्र मनुष्य, एक साथ कार्य करते हुए स्वयं को इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक अवसर और सामाजिक न्याय के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहयोग मिलेगा। यह एक चुनौती भी है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों के कंधों पर अर्थात् लोगों की इच्छा पर टिकी हुई होती है।

कोविड–19 से उभरने के बाद लोकतंत्र, स्वयं एक तिराहे पर खड़ा है। जहां एक ओर, विश्व के कई देश न केवल तेजी से निरंकुश शासन की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन के मानदंडों और उसके अस्तित्व को भी जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, नवाचार और सुधार के रूप में आर्थिक सुधार के संकेत भी मिले हैं। जैसा कि कई सरकारें और नागरिक यह महसूस करते हैं कि बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता केवल तभी जीवित रहेगी जब लोकतंत्र नई पीढ़ियों के लिए जलवायु परिवर्तन से लेकर बढ़ती असमानता जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को अनुकूलित और पुनर्जीवित करेगा।

इसलिए, मौजूदा चुनौतियों का मुकाबला करने और अधिक टिकाऊ, समावेशी और उत्तरदायी रिकवरी हेतु स्थितियों के सृजन के लिए, लोकतंत्रों को अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करना चाहिए। साथ ही, विश्व को यह दिखाना चाहिए कि कैसे और क्यों लोकतांत्रिक शासन सबसे अच्छा विकल्प है।

लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति

टॉपिक – एक नज़र में

लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें 'शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं'। साथ ही, इसके तहत निम्नलिखित 4 मूल सिद्धांतों का पालन किया जाता है।

- अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए।
- एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य।
- जनता को वर्तमान निर्वाचित शासकों को बदलने का उचित अवसर प्राप्त होना चाहिए।
- संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सरकार का शासन।

लोकतंत्र के मार्गदर्शक मूल्यों का विकास

- 1215: किंग जॉन प्रथम ने 'मैग्ना कार्टा' जारी किया।
- 1690: जॉन लॉक ने नागरिक सरकार की वकालत की।
- 1789: फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा।
- 1870: यू.एस.ए. के संविधान में 15वां संशोधन
- 1948: मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा।
- 1950: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाले भारतीय संविधान को अपनाया गया।

लोकतंत्र दुनिया भर में सरकार का पसंदीदा रूप क्यों है?

- यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत का पालन कर, नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है।
- यह मतभेदों को सुलझाने का रचनात्मक तरीका प्रदान करके विविधता में एकता सुनिश्चित करता है।
- यह परामर्श की सुविधा देकर जल्दबाजी में निर्णय लेने की संभावना को कम करता है।
- यह सार्वजनिक चर्चा के लिए जगह सुनिश्चित करके अपनी गलतियों का सुधार सुनिश्चित करता है।
- यह आंतरिक सशस्त्र संघर्षों या आतंकवाद को समाप्त करके वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- यह आर्थिक विकास के बेहतर अवसर प्रदान करता है।

वे कौन से खतरे हैं, जो देशों को लोकतंत्र से तानाशाही की ओर धकेल रहे हैं?

- निम्न आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी, निर्धनता आदि के कारण सुस्थापित लोकतंत्र के नागरिकों में **आर्थिक असंतोष**।
- **ध्रुवीकरण का उदय**, जो बदले में न्यायपालिका को कमजोर करता है तथा साथ ही अन्य लोगों को प्रभावित करने के साथ, सरकार द्वारा किए जाने वाले शांतिपूर्वक वैध परिवर्तन को भी बाधित करता है।
- सोशल मीडिया के युग में **डिजिटलीकरण तथा दुष्प्रचार** ने लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले कारकों को और बढ़ा दिया है।
- न्यायिक स्वतंत्रता, विधायी निरीक्षण, मीडिया अखंडता, नागरिक समाज की भागीदारी, चुनाव प्रक्रिया आदि जैसी **लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना**।
- जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है। साथ ही, यह संघर्ष की ओर भी ले जा सकता है।
- **नवजात लोकतंत्रों की नाजुक प्रकृति**, गैर-लोकतंत्रों का प्रभाव और साथ ही कोविड-19 महामारी का प्रभाव।

आगे की राह

- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होने वाले तख्तापलट/ असंवैधानिक बाधाओं को समाप्त करना:
  - **राष्ट्रीय प्रयासः** सरकार के शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए संवैधानिक तंत्र तथा तख्तापलट के खिलाफ विशिष्ट कानूनी उपाय।
  - **वैश्विक प्रयासः** लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने या खतरे में डालने के आलोक में देशों की जवाबदेही तय करना।
- **लोकतंत्र के विनाश को रोकना:**
  - **राष्ट्रीय प्रयासः** असंतुष्ट मतदाताओं की शिकायतों को दूर करना, सामाजिक अनुबंधों को फिर से तैयार करना, राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करना आदि।
  - **वैश्विक प्रयासः** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मानकों का एक सेट विकसित करना
  - पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
  - नागरिक समाज संगठनों और मीडिया की अखंडता को मजबूत बनाना।
- **लोगों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का कर्मठतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए।**